

मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ 25/222/2000/पी.डब्ल्यू.सी./चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.11.2000

समस्त जिला कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- महिला पेंशनरों से पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

विषयांतर्गत परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं के प्रकरण में म.प्र. कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम-373 (2) के प्रावधानुसार एक वचन-पत्र पेंशन के प्रथम भुगतान के ही समय लिया जाना है कि-“मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है, और मैं वचन देती हूँ कि अगर पुनर्विवाह भविष्य में करूंगी तो ऐसी घटना की सूचना तुरंत पेंशन संवितरण अधिकारी को दूंगी।

2/ अतः स्पष्ट है कि विधवा से परिवार पेंशन के प्रथम भुगतान के समय ही उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे। माह, मई एवं नवंबर में पुनः प्रमाण-पत्र लेना उचित नहीं है।

हस्ता/-
(के.एन. पन्त)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. एफ 25/222/2000/पी.डब्ल्यू.सी./चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28 नवंबर, 2000

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) मंत्रालय भोपाल।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालय भोपाल।
8. मुख्य लेखा अधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल।
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/61, तुलसी नगर, भोपाल।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल।
12. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल।
13. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल।
14. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, विन्ध्याचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट, भोपाल।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल।
16. अध्यक्ष, म.प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल।
17. प्रांतीय महामंत्री, म.प्र. अजाक्स संघ, कार्यालय 83/55 तुलसी नगर, भोपाल।
18. पेंशनर कल्याण मण्डल के सभी सदस्य।
19. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
20. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश।
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
22. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

हस्ता/-

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग